BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 01 अक्टूबर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के प्रयास के आरोपी को 07 वर्ष का कारावास व 07 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त परमानंद उर्फ परमा पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम धरारी थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में अपने ही गांव के निरंजन सिंह को जान से मारने की नियत से उनके सीने पर बल्लम से वार करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 12.10.2020 को थाना खुर्जा देहात पर मुअसं– 363/2020 धारा 307 भादवि पजीकृत किया गया तथा दिनांक 12.12.2020 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 09 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 01.10.2024 को न्यायाधीश श्री गोपाल जी (मा0 न्यायालय एडीजे-12 जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त परमानंद उर्फ परमा को 07 वर्ष का कारावास एवं 07 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री प्रवेन्द्र सिंह लोधी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर